संख्या-02/2026-54-22-4-2026-2017847

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 11 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष-2025-26 में प्रदेश की विभिन्न कारागारों पर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2234/नम-3/कार्य योजना/2025-26, दिनांक 20.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की विभिन्न कारागारों के विभिन्न कार्यो के 25 निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0 666.76 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित एकमुश्त धनराशि रू0 666.76 लाख (रूपया छः करोड़ छाछठ लाख छिहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	कारागार का नाम	कार्य का नाम	पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत	वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत की जाने वाली की धनराशि
1	केन्द्रीय कारागार, बरेली	सुचारू जलापूर्ति हेतु पुरानी जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइन बदलकर नई पाइप लाइन डालने तथा पुराने ओवर हेड टैंक व पम्प हाउस के मरम्मत का कार्य	63.49	63.49
2	जिला कारागार, आजमगढ़	अस्पताल अहाते में 04 नग दिन शौचालय एवं बाथिंग प्लेटफार्म	15.66	15.66
3	जिला कारागार, इटावा	कृषि कार्य हेतु 01 नग ट्यूबवेल मय पम्प हाउस	54.67	54.67
4	जिला कारागार, कानपुर देहात	जेल गेट के बाहर जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण (लगभग 60 मी०)	2.23	2.23
5	जिला कारागार, खीरी	कारागार के अन्दर कार्मिकों हेतु 02 नग शौचालय मय सेप्टिक टैंक, सोकपिट व जलापूर्ति की व्यवस्था सहित	13.49	13.49
6	जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर	कृषि कार्य हेतु 01 नग ट्यूबवेल मय पम्प हाउस	63.66	63.66

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7	जिला कारागार, बदायूं	कारागार के अन्दर कार्मिकों हेतु 02 नग शौचालय मय सेप्टिक टैंक, सोकपिट व जलापूर्ति की व्यवस्था सहित	14.51	14.51
8	केन्द्रीय कारागार, बरेली	अहातों में बंदियों के स्नान एवं कपडे घुलने हेतु आवश्यकतानुसार टाइल्स व शेड युक्त चटटें का कार्य	52.13	52.13
9	जिला कारागार, महराजगंज	महिला अहाते में बच्चों हेतु क्रेच	12.01	12.01
10	जिला कारागार, मऊ	महिला अहाते में हास्पिटल, क्रेच एवं किचन	32.66	32.66
11	जिला कारागार, खीरी	कार्यालय स्टाफ के लिए निर्दा में 02 नग शौचालय (पुरुष एवं महिला) मय सेप्टिक टैंक, सोकपिट जलापूर्ति की व्यवस्था सहित	13.49	13.49
12	जिला कारागार, मऊ	अहाता सं0-01 व 3 में कुल 16 नग अतिरिक्त दिन शौचालय का निर्माण सेप्टिक टैंक व शॉकपिट सहित	37.71	37.71
13	जिला कारागार, फिरोजाबाद	कृषि हेतु 01 नग ट्यूबवेल पम्प हाउस सहित	63.92	63.92
14	जिला कारागार, अलीगढ़	कारागार के मुख्य द्वार पर स्थापित पुलिस चौकी के निकट शौचालय (01 नग) का निर्माण मय सेप्टिक टैंक, सोकपिट व जलापूर्ति की व्यवस्था सहित	7.39	7.39
15	जिला कारागार, एटा	महिला कर्मचारियों हेतु 01 नग शौचालय जलापूर्ति की व्यवस्था सहित	6.34	6.34
16	जिला कारागार, एटा	पुरुष कर्मचारियों हेतु 01 नग शौचालय जलापूर्ति की व्यवस्था सहित	6.34	6.34
17	जिला कारागार, एटा	अहाता संख्या 4 में 04 नग दिन शौचालय का एक ब्लॉक मय सेप्टिक टैंक, सोकपिट व जलापूर्ति की व्यवस्था सहित	11.75	11.75
18	जिला कारागार, श्रावस्ती	कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई व्यवस्था हेतु पक्की नाली (लगभग 600 मी०) का निर्माण	21.11	21.11
19	जिला कारागार, बाराबंकी	कृषि कार्य हेतु 01 नग ट्यूबवेल मय पम्प हाउस	58.14	58.14
20	जिला कारागार, बाराबंकी	जेल लाईन में नाली (960 मी०)	32.85	32.85
21	जिला कारागार, बाराबंकी	कारागार के भीतर 12 नग शौचालय मय सेप्टिक टैंक, सोकपिट व जलापूर्ति की व्यवस्था सहित	42.26	42.26

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	जिला कारागार, लखनऊ	सर्किल नं0-01 के अहाता संख्या-01 में 01 नग समर सेबिल	2.93	2.93
23	जिला कारागार, उन्नाव	कारागार के अन्दर कार्मिकों हेतु 02 नग शौचालय मय सेप्टिक टैंक, सोकपिट व जलापूर्ति की व्यवस्था सहित	14.60	14.60
24	जिला कारागार, हरदोई	कारागार के समस्त गंदा पानी की निकासी हेतु महिला बैरक गैलरी से मेनवॉल पोस्ट 8 तक 02 फिट चौड़ी पक्की नाली (लगभग 150 मी०) के निर्माण की आवश्यकता	8.36	8.36
25	जिला कारागार, फिरोजाबाद	महिला अहाते में 02 नग शौचालय मय सेप्टिक टैंक, सोकपिट व जलापूर्ति की व्यवस्था सहित	15.06	15.06
	योग		666.76	666.76

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा आवश्यकता/नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिर्वतन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये नही किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक, कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(9) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।

(10) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारभ कराया जाए।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिरीक्षक, कारागार/कार्यदायी संस्था का होगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13) महानिरीक्षक कारागार निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा कार्य की गुणवत्ता आदि की प्रगति के संबंध में अपने स्तर से समीक्षा करते हुए प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(14) स्वीकृत कार्यों पर कोई अतिरिक्त चार्जेज देय नहीं होगें। स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही समय-सीमा में कार्य पूर्ण किये जायेंगे। यदि कार्य की लागत अथवा समय-सीमा बढ़ती है, तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,66,76,000 (रुपये छह करोड़ छियासठ लाख छिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4059800510400 कारागारों में जलपूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-02 /2026-54-22-4-2026-2017847, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0(पैक्सफेड)

(4)जिलाधिकारी, बरेली/आजमगढ़/इटावा/कानपुर देहात/खीरी/गौतमबद्धनगर/बदायूं/महराजगंज /मऊ/फिरोजाबाद /अलीगढ़/एटा/ श्रावस्ती बाराबंकी/लखनऊ/उन्नाव/हरदोई।

(5)वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, बरेली/आजमगढ़/इटावा/कानपुर देहात/खीरी/गौतमबद्धनगर/बदायूं/महराजगंज /मऊ/फिरोजाबाद /अलीगढ़/एटा/ श्रावस्ती बाराबंकी/लखनऊ/उन्नाव/हरदोई।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(9) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्यय) अनुभाग-1/2

(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in